>

Title: The Minister of State in the Ministry of Rural Development made a statement regarding status of implementation of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस भव्य सदन को यह जानकारी देते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), जो कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है, ने गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार के माध्यम से परिवारों की जीविकोपार्जन संबंधी सुरक्षा को बढ़ाकर और स्थाई रोजगार प्रदान करने वाली स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन करके और देश के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदल दिया है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I would not allow this. Nothing will be recorded. You should behave sensibly.

*(Interruptions) â€¦ **

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: चालू वित्त वर्ष के दौरान (अक्तूबर, 2008 तक) 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार दिए गए हैं, जो कि 2007-2008 की इसी अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इसी दौरान रोजगार के 119.96 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए जो कि 2007-2008 की इसी अवधि की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक हैं। रोजगार सृजन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी 55 प्रतिशत और महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत है। चालू वर्ष में 19 लाख कार्य शुरू किए गए, जिनमें से 6.10 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं। 67 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण/सिंचाई सुविधा से संबंधित हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान 26,500 करोड़ रुपए के संशोधित बजट आबंटन की तुलना में, 18,040 करोड़ रुपए की राशि पहले ही रिलीज कर दी गई है। राज्यों द्वारा अभी तक 14218.02 करोड़ रुपए खर्च होने की सूचना दी गई है।

इस वक्तव्य के जरिए मैं माननीय सदस्यों को एनआरईजीए के ठोस कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताना चाहूंगा और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं।

1. एनआरईजीए के फलस्वरूप वित्तीय समावेशन बढ़ा है। रोजगार पाने वाले परिवारों के लिए बैंकों/डाकघरों में 4.92 करोड़ खाते खोले गए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे खातों के जरिए मजदूरी का पूरा भुगतान करें। इस वर्ष अब तक अकुशल मजदूरों को दी गई मजदूरी पर किए गए 9942.67 करोड़ रुपए के खर्च में से इन खातों के माध्यम से 4082.11 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

* Not recorded

2. एक वेब आधारित व्यापक प्रबंधन आसूचना प्रणाली (एमआईएस) बनाई गई है, जिसमें वित्तीय और कार्यक्रम निष्पादन संकेतकों से संबंधित सभी आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। वेबसाइट पर 95 लाख मस्टर रोल और 5.5 करोड़ जॉब कार्ड उपलब्ध हैं। स्टेक होल्डरों को श्रेष्ठ कार्यों की जानकारी देने और जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए एनआरईजीए के अंतर्गत "नॉलेज नेटवर्क " बनाया गया है।

3. कड़ी सतर्कता एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक 1.59 लाख ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा की गई है और 95.49 लाख मस्टर रोलों का सत्यापन किया गया है।

4. मंत्रालय ने एनआरईजीए के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों की नियमित जांच करने की व्यवस्था की है। अब तक जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 2.29 लाख कार्यों की तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा 14.07 लाख कार्यों की जांच की गई है।

5. मंत्रालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से नियमित आधार पर एनआरईजीए के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखा परीक्षा कराने का आग्रह किया है।[R3]

6. एनआरईजीए ने कर्मियों के क्षमता निर्माण के जरिए, अतिरिक्त श्रम शक्ति, आईसीटी सहायता उपलब्ध कराकर और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन करके पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाया है।

7. जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों के लगभग 6.17 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

8. सरकार ने एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सिविल सोसायटी संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए " रोजगार जागरूकता पुरस्कार" की शुरूआत की है।

9. मंत्रालय ने निगरानी, मूल्यांकन, शिकायत निवारण और आईटी सुविधा आदि के लिए पेशेवर निकायों एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने के लिए अत्यंत सक्रिय उपाय शुरू किए हैं। मंत्रालय ने एनआरईजीए संबंधी मुद्दों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, भारतीय प्रबंधन संस्थाओं, कृषि विद्यालयों तथा समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के साथ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और डाक एवं आर्थिक कार्य विभाग के कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण और विधि विशेषज्ञों का सहयोग लेने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया था। मीडिया की गहन भूमिका प्राप्त करने के लिए मीडिया को संवेदनशील बनाने वाली कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था।

10. मजदूरों और अन्य स्टेक होल्डरों को सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय टॉल फ्री हेल्पलाइन नं0 1800110707 बनायी गयी है। राज्यों को भी यह सलाह दी गई है कि वे प्रभावी शिकायत निवारण के लिए इसी प्रकार की टॉल फ्री हेल्पलाइन बनाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि एनआरईजीए के कंतिकारी कानून हैं, इन्हें सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग दें, निगरानी करें और जनभागीदारी बढ़ाएं।

(Placed in Library, See No. LT 9794/2008)

[R4]

-

-